न्यायालय :– सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा।

नियमित जमानत आवेदन सं0–182/2026

1. शेखर कुमार चौधरी, उम्र–35 वर्ष, पिता–दिनेश चौधरी,
साकिन–रहटा, वार्ड नं0– 05, थाना–कुमारखंड, जिला–मधेपुरा।

.....(आवेदक)

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी।

24/03/2026

दिनांक–27/01/2026 से काराधीन अभियुक्त शेखर कुमार चौधरी का नियमित जमानत आवेदन कुमारखंड थाना कांड संख्या–260/2025, अन्तर्गत धारा– 109(1), 3(5) बी.एन.एस. एवं 27 शस्त्र अधिनियम से संबंधित है, जिसे आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुन्ना कुमार एवं बिहार सरकार की ओर से श्री विवेका कुमार सिंह, लोक अभियोजक, को सुना।

अभियोजन का संक्षिप्त में कथन है कि दिनांक–13.11.2025 को समय 10:00 बजे रात में सूचक अमलेश यादव पत्नी के साथ दरवाजा पर सोने के लिए चले गये। करीब 01:00 बजे रात में सोये हुए कंबल को उठाया तो सूचक का नींद खुल गया। उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के साथ आवेदक सूचक के पास खड़े थे। जब सूचक को जगा देखा तो शलैन्द्र यादव उर्फ पप्पु यादव का बात सुनकर सरोज यादव सूचक पर हथियार तान दिया, जब सूचक बचने का प्रयास किये तो मनोज यादव एवं इंद्रदेव यादव सूचक का पैर पकड़ लिया उसके पश्चात् शलैन्द्र यादव उर्फ पप्पु एवं शेखर कुमार सूचक का हाथ पकड़ लिया उसके पश्चात् सरोज यादव सूचक पर गोली चला दिया जो सूचक को गोली सीने में लगा। तब गोली का आवाज सुनकर सूचक की पत्नी सीता देवी जगी और हल्ला करने लगी। सूचक रहटा पंचायत का पैक्स अध्यक्ष है। आवेदक सरोज यादव के बड़े भाई संतोष कुमार उर्फ बबलु यादव सूचक से चुनाव हार गये थे।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप नही है। अभियुक्त दिनांक–27/01/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, जिन्हें पर्याप्त दण्ड मिल चुका है।

राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के कंडिका– 54 में जख्मी का जख्म उल्लेख किया गया है, जिसमें चिकित्सक के द्वारा जख्मी का जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है एवं पूरक कांड दैनिकी के कंडिका–13 में उल्लेख आवेदक का आपराधिक इतिहास भी नहीं है। प्रार्थी दिनांक–27/01/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियो एवं अभियुक्त के द्वारा कारा में बितायी गयी अवधि पर विचार करते हुए आवेदक शेखर कुमार चौधरी का जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक की ओर से दाखिल मो0 10000/रूपये के दो सामान राशि के प्रतिभुओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्तों के साथ दिया जाता है कि 1. आवेदक का जमानतदार उसका खास सगा संबंधी होगा एवं 2. आवेदक इस वाद के विचारण के दौरान प्रत्येक निश्चित तिथि को विचारण न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित रहेंगे, अगर आवेदक दो लगातार निश्चित तिथि को वाद विचारण न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित नहीं रहेंगे तो उनका जमानत बंध–पत्र स्वतः खारिज हो जाएगा।

लेखापित

(बलराम दूबे)
सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा। 24.03.26